उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा/ 64 /2021–22 दिनांकः 23 जून,2021

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों में आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक (पद कोड–07) के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति की दिनांक 06 नवम्बर, 2016 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई गई। उक्त लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर जारी श्रेष्टता सूची के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या–949/एस0एस0/2019 कु0 रुमा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गई। उक्त योजित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2020 को पारित आदेश एवं मा0 आयोग के द्वारा दिनांक 23.03.2021 को लिए गये निर्णय के अनुपालन में अभिलेख सत्यापन हेतु चतुर्थ औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर प्रकाशित की जा रही है।

सूच्य है कि आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक (पद कोड–07) के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के क्रम में अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्व में आयोग द्वारा जारी श्रेष्टता सूची के आधार पर किए गये अभिलेख सत्यापन के उपरान्त पूर्व में जारी की गई चयन सूची में संशोधन हो सकता है।

अतः चयनित अभ्यर्थी को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि :–

1. **जारी श्रेष्टता सूची के अनुसार** अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित मूल अभिलेखों सहित, जो अभ्यर्थी के द्वारा सम्बन्धित पद हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक योग्यता/व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र में अंकित किए गये, की स्वप्रमाणित दो–दो प्रतियाँ (अलग–अलग) **व 04 पास पोर्ट आकार की फोटोग्राफ** के साथ **दिनांक 13–07–2021** को **प्रातः 9.30 बजे आयोग कार्यालय** में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
2. ध्यान दें कि आयोग की वैबसाइड पर **संवाद संख्या–79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप** एव **अभिलेख सत्यापन में उपस्थिति हेतु औपबन्धिक प्रवेश पत्र** संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नकों का विवरण तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।
3. राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुक्रम में व अभ्यर्थियों तथा आयोग कार्मिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की तिथि को RT PCR/ True Nat/ CBNAAT/RAT Negative Test Report **(अधिकतम 72 घंटे पूर्व)** में से कोई भी **एक निगेटिव रिपोर्ट** साथ लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी के द्वारा **उक्त रिपोर्ट को आयोग कार्यालय के मुख्य गेट पर दिखाए जाने के उपरान्त ही** अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देश आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किए गये हैं।
4. यदि जॉच में कोई अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव पाये जाते हैं तो वे अभिलेख सत्यापन के लिए आयोग कार्यालय में न आंये तथा कोविड गाइडलाइन के अनुसार तत्काल आइसोलेट हों व चिकित्सा प्राप्त करें। अभ्यर्थी के कोरोना पॉजिटिव आने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी को उसकी सूचना आयोग को ई–मेल **(mail: chayanayog@gmail.com)** के माध्यम से देनी होगी जिससे ऐसे अभ्यर्थी को उनके कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद अभिलेख सत्यापन का अवसर दिया जायेगा।
5. अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही अभिलेख सत्यापन की तिथि को आयोग कार्यालय में **सभी अभ्यर्थी मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे।**

23/6/21

सचिव

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

देहरादून।

UTTARAKHAND SUBORDINATE SERVICE SELECTION COMMISSION

PROVISIONAL FOURTH MERIT LIST FOR DOCUMENT VERIFICATION

Post Code: 007 **Post Name: Stenographer/ Personal Assistant**

S.No.	Roll No	Name / Father's Name	Gender	Cate.	Sub Cate.	Exam Marks	Select As
1	2405000065	KM ROOMA DEVI D/O Mr. RIKKHEE SINGH	FEMALE	OBC	NA	70.75	GEN-W

यह श्रेष्ठता सूची पूर्णतः औपबंधिक है। श्रेष्ठता सूची की सामान्य रैंक 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2008 व उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–220/XXX(4)/2017-03(10)/2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 के आधार पर तैयार की गयी है। अभिलेख सत्यापन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं व उसकी पुष्टि के आधार पर स्वीकार किया जायेगा।

यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की रिट संख्या–949 / (एस०एस०) / 2019 कु० रूमा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 19.11.2020 को पारित आदेश एवं मा० आयोग की बैठक दिनांक 23.03.2021 के निर्णय के अनुपालन में जारी किया जा रहा है। अभिलेख सत्यापन की पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधित विभाग हेतु संस्तुति की जाएगी। इस संबंध में मा० आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

23-6-2021

परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग